सत्यमेव जयते

**राजस्थान सरकार**

# गृह रक्षा विभाग

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2020-21

निष्काम सेवा

# निदेशालय, गृह रक्षा

**राजस्थान, जयपुर**

सत्यमेव जयते

**राजस्थान सरकार**

# गृह रक्षा विभाग

## वार्षिक प्रतिवेदन

## 2020-21

# निदेशालय, गृह रक्षा

**राजस्थान, जयपुर**

# विवरणिका


| | भाग–1 विभागीय सार–संक्षेप | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1.1 | भूमिका | 1 |
| 1.2 | गृह रक्षा की शाखाएं | 1–2 |
| 1.3 | नियत्रंण | 2 |
| | भाग–2. निदेशालय का विवरण | |
| 2.1 | गृह रक्षा, निदेशालय | 3–4 |
| 2.2 | केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान | 5 |
| | भाग–3. विभागीय कार्यप्रणाली | |
| 3.1 | गृह रक्षा के मुख्य कृत्य | 6 |
| 3.2 | गृह रक्षा की सीमा इकाई | 6–7 |
| 3.3 | गृह रक्षा की शहरी इकाई | 8 |
| 3.4 | गृह रक्षा की ग्रामीण इकाई | 9 |
| 3.5 | शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन | 10 |
| 3.6 | सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन | 11 |
| 3.7 | केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम | 12–13 |
| 3.8 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता | 13 |
| 3.9 | वार्षिक योजना | 13 |
| 3.10 | प्रशस्ति पत्र | 13 |
| 3.11 | विभागीय जांच एवं निलम्बन | 14 |
| 3.12 | प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग | 14–15 |

| | | |
|---|---|---|
| | **भाग–4. बजट प्रावधान** | |
| 4.1 | शहरी गृह रक्षा बजट मद | 16 |
| 4.2 | सीमा गृह रक्षा बजट मद | 17 |
| 4.3 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा | 18 |
| 4.4 | पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा | 18 |
| 4.5 | वृहद् निर्माण कार्य | 18 |
| 4.6 | अनुरक्षण एवं मरम्मत | 18 |
| **भाग–5. विभाग की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ** | | 19–20 |
| | परिशिष्ठ | |
| | (अ) विभाग का संगठनात्मक स्वरूप | 21 |
| | (ब) विभाग की जिले वाइज स्वयं सेवकों की नफरी व उनके नियोजन का विवरण | 22 |

# वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21

## भाग –1

### 1.1 भूमिका :

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में ''होमगार्डस'' नाम का एक स्वयं सेवी संगठन खड़ा किया गया जो कि युद्ध के दौरान स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख सके तथा स्थानीय प्रशासन को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहायक हो सके। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 6 दिसम्बर 1946 को स्थानीय नागरिकों व पुलिस की सहायता के लिए **''होमगार्ड''** संगठन स्थापित किया गया, तत्पश्चात् इसी धारणा के अनुरूप अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठनों को स्थापित किया गया।

सन् 1962 में चीनी आक्रमण के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी–अपनी स्वयं सेवी संगठनों को एक संयुक्त सेना जिसका नाम **''होमगार्डस''** के नाम से स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये जो कि संकल्प एवं चरित्र में स्वयं सेवी हो। राजस्थान में 'होमगार्डस' संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में राजस्थान होमगार्डस अध्यादेश 1962 एवं राजस्थान होमगार्डस नियम 1962 द्वारा की गई। यह संगठन राजस्थान में 58 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस संगठन में वर्तमान में 30714 शहरी, ग्रामीण एवं सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवको का विशाल बल है, जिनके साथ हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। इसी के मद्देनजर समस्त भारत में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को **''गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा''** दिवस मनाया जाता है।

### 1.2 गृह रक्षा की तीन शाखायें हैं :–

1. सीमा गृह रक्षा
2. शहरी गृह रक्षा
3. ग्रामीण गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में है। शहरी गृह रक्षा, राज्य के समस्त जिलों में एवं ग्रामीण गृह रक्षा, राज्य के 22 जिलों में है। राज्य के सभी जिलों में शहरी गृह रक्षा में 1420 महिला स्वयं सेविकायें भी हैं। इस प्रकार कुल 30714 गृह रक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवक/सेविकाएं हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होमगार्डस रूल्स 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो।

**इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :–**

1. गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, एवं श्रीगंगानगर में)
4. शहरी तथा ग्रामीण गृह रक्षा इकाइयां (जिला स्तर पर )।

**1.3 <u>नियन्त्रण</u> :**

1. इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक, गृह रक्षा के अधीन है। निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष की सहायतार्थ अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महासमादेष्टा, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा जूनियर स्टाफ ऑफिसर व अन्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा अधीनस्थ इकाईयों में गण समादेष्टा/समादेष्टा/ उप समादेष्टा के पद स्वीकृत हैं।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं। इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप निदेशक (उप समादेष्टा) एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है जिनकी सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां प्रत्येक जिले में स्थापित है एवं ग्रामीण गृह रक्षा 22 जिलों में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

# भाग – 2

## 2.1 गृह रक्षा निदेशालय

वर्तमान में गृह रक्षा निदेशालय जलेब चौक परिसर में कार्यरत है। स्थानाभाव के कारण निदेशालय की कुछ शाखाएँ जैसे कि केन्द्रीय भण्डार एवं डिस्पेंसरी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के गवर्नमेन्ट हॉस्टल के समीप पुरानी आलू फैक्ट्री परिसर में कार्यरत हैं।

विभाग के स्वयं के निदेशालय भवन निर्माण हेतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सैक्टर–4 विद्याधर नगर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये है व 1129.74 लाख का बजट आवंटित किया गया है। निदेशालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

स्वीकृत तथा उपलब्ध स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :–

| क.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियॉ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **भारतीय पुलिस सेवा :** | | | | | |
| 1. | महानिदेशक, गृह रक्षा | 1 | 1 | – | |
| 2. | अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा | 1 | 1 | – | |
| 3. | महानिरीक्षक, गृह रक्षा | 1 | 1 | – | |
| **राजस्थान गृह रक्षा सेवा :** | | | | | |
| 1. | उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा | 2 | 2 | – | |
| 2. | सीनियर स्टाफ ऑफिसर | 2 | 2 | – | |
| 3. | जूनियर स्टाफ ऑफिसर | 1 | – | 1 | |
| 4. | उप समादेष्टा (स्टोर) | 1 | 1 | – | |
| 5. | उप समादेष्टा (एल.आर.) | 2 | – | 2 | |
| **राजस्थान लेखा सेवा :** | | | | | |
| 1. | वित्तीय सलाहकार | 1 | 1 | – | |
| 2. | लेखाधिकारी | 1 | 1 | – | |
| **राजस्थान चिकित्सा सेवा :** | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ चिकित्सक | 1 | – | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **विभागीय अधीनस्थ सेवा :** | | | | | |
| 1 | कम्पनी कमाण्डर | 1 | 1 | — | |
| 2. | कम्पनी कमाण्डर आर्मोरर | 1 | — | 1 | एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित। |
| 3. | निरीक्षक (एम.टी.) | 1 | — | 1 | एक कम्पनी कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित। |
| 4. | कनिष्ठ विधि अधिकारी | 2 | — | 2 | |
| 5. | सहायक जनसम्पर्क अधिकारी | 1 | — | 1 | |
| 6. | प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) | 1 | — | 1 | एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित |
| 7. | प्लाटून कमाण्डर | 1 | 1 | — | |
| 8. | मुख्य आरक्षी | 3 | 1 | 2 | |
| 9. | मुख्य आरक्षी आर्मोरर | 2 | — | 2 | दो मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्व पदस्थापित |
| 10. | आरक्षी | 14 | 1 | 13 | |
| 11. | मशीनमैन | 1 | — | 1 | |
| 12. | वाहन चालक | 1 | — | 1 | |
| 13. | वार्ड ब्वाय | 1 | — | 1 | |
| **लेखा अधीनस्थ सेवा :** | | | | | |
| 1. | सहायक लेखाधिकारी–I | 1 | 1 | — | |
| 2. | सहायक लेखाधिकारी–II | 2 | 2 | — | |
| 3. | कनिष्ठ लेखाकार | 3 | 2 | 1 | |
| **मंत्रालयिक सेवा :** | | | | | |
| 1 | निजी सचिव | 1 | 1 | — | |
| 2. | निजी सहायक | 2 | 2 | — | |
| 3 | प्रशासनिक अधिकारी | 1 | — | 1 | |
| 4. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 2 | 2 | — | |
| 5. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 6 | 4 | 2 | |
| 6. | वरिष्ठ सहायक | 11 | 12 | 1 | एक वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्व पदस्थापित |
| 7 | कनिष्ठ सहायक | 9 | 9 | 0 | |
| **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :** | | | | | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 6 | 3 | 3 | |
| 2. | स्वीपर | 1 | 1 | — | |
| | **योग** | **89** | **51** | **38** | |

## 2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा जयपुर राजस्थान :

राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना है । इस संस्थान पर नियन्त्रण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवं उपलब्ध अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

| क. सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियां | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य सेवा : | | | | | |
| 1. | निदेशक | 1 | 1 | – | |
| 2. | उप समादेष्टा | 1 | 1 | – | |
| **अधीनस्थ सेवा :** | | | | | |
| 1. | सीनियर इंस्ट्रेक्टर | 1 | – | 1 | एक कम्पनी कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 2. | नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक | 1 | – | 1 | एक प्लाटून कमाण्डर रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 3. | कम्पनी कमाण्डर | 1 | 1 | – | |
| 4. | प्लाटून कमाण्डर | 3 | 3 | – | |
| 5. | मुख्य आरक्षी | 6 | 3 | 3 | |
| 6. | आरक्षी | 13 | – | 13 | |
| 7. | बिगुलर | 2 | – | 2 | |
| 8. | ड्रम मैन | 2 | – | 2 | |
| 9. | कांस्टेबल ड्राईवर | 1 | – | 1 | |
| **लेखा सेवा** | | | | | |
| 1 | सहायक लेखाधिकारी–II | 1 | – | 1 | |
| **मंत्रालयिक सेवा** : | | | | | |
| 1. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 1 | – | |
| 2. | शीघ्र लिपिक(स्टेनो) | 1 | – | 1 | |
| 3. | वरिष्ठ सहायक | 1 | 1 | – | |
| 4. | कनिष्ठ सहायक | 3 | 2 | 1 | |
| | **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** : | | | | |
| 1. | चौकीदार | 2 | – | 2 | |
| 2. | कुक | 2 | 2 | – | |
| 3. | कारपेन्टर | 1 | 1 | – | |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 2 | 2 | – | |
| | **योग** | **46** | **18** | **28** | |

# भाग – 3

**गृह रक्षा संगठन** :

3.1 गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :–

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. अग्नि शमन, बचाव (Rescue), संचार एवं एम्बुलेंस सर्विसेज को आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करना।
3. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
4. सरकार की समाज कल्याण योजना में मदद करना।
5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा समय–समय पर कार्य सौंपे जायें।

राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवको ने प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा ड्यूटी करते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वर्तमान में गृह रक्षा स्वयं सेवकों द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर पूर्ण लगन व उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी देते हुए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है जिसकी समय–समय पर भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है जो कि संगठन की सक्रियता एवं उपयोगिता का एक अनुपम उदाहरण है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभागो जैसे पुलिस, खनिज, बिजली, चिकित्सा, न्यायालय, नगर निगम, कोरोना महामारी इत्यादि में सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य गृह रक्षा स्वयं सेवकों को देकर उनमें अपना विश्वास जताया है।

3.2 **सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियॉ)**

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक–एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियॉ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक नामांकित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होमगार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है। इन चारों बटालियनों (24

कम्पनियॉ) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :–

| क.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियॉ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य सेवा** : | | | | | |
| 1. | गण समादेष्टा | 4 | 3 | 1 | |
| 2. | उप गण समादेष्टा | 4 | – | 4 | |
| **अधीनस्थ सेवा** : | | | | | |
| 1. | कम्पनी कमाण्डर | 28 | 12 | 16 | |
| 2. | प्लाटून कमाण्डर | 76 | 30 | 46 | |
| 3. | प्लाटून कमाण्डर आरमोरर | 4 | – | 4 | |
| 4. | प्लाटून कमाण्डर एम.टी. | 4 | 1 | 3 | |
| 5. | मुख्य आरक्षी | 24 | 23 | 1 | |
| 6. | मुख्य आरक्षी एम.टी. | 3 | – | 3 | दो मुख्य आरक्षी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 7. | मुख्य आरक्षी आरमोरर | 4 | – | 4 | |
| 8. | वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक | 35 | 7 | 28 | |
| 9. | आरक्षी | 103 | 2 | 101 | |
| **अधीनस्थ लेखा सेवा** : | | | | | |
| 1. | सहायक लेखाधिकारी–II | 4 | 2 | 2 | |
| **मंत्रालयिक सेवा** : | | | | | |
| 1. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 4 | 3 | 1 | एक सहा. प्रशा. अधिकारी रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 2. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 4 | 2 | 2 | एक व. सहायक रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 3. | वरिष्ठ सहायक | 4 | 4 | – | |
| 4. | कनिष्ठ सहायक | 20 | 14 | 6 | |
| **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** : | | | | | |
| 1. | चौकीदार | 21 | 7 | 14 | |
| 2. | स्वीपर | 27 | 13 | 14 | |
| | **योग :** | **373** | **123** | **250** | |

### 3.3 शहरी गृह रक्षा (204 कम्पनियॉ) :—

राज्य के सभी 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाइयां गठित हैं। जिसमें 13 महिला कम्पनियॉ सम्मिलित हैं, जिनकी कुल नफरी 1420 हैं व इन्हें राज्य के कानून एवं व्यवस्था हेतु सहयोगार्थ सभी जिलो में वितरित किया गया है। स्वयं सेवकों की अधिकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट—''ब'' पर संलग्न है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाइयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :—

| क. सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियॉ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **राज्य सेवा :** | | | | | |
| 1. | समादेष्टा ( डिविजनल कमाण्डर ) | 7 | 5 | 2 | एक समादेष्टा प्रतिनियुक्ति पर |
| 2. | उप समादेष्टा | 26 | 12 | 14 | |
| **अधीनस्थ सेवा :** | | | | | |
| 1. | कम्पनी कमाण्डर | 20 | 17 | 3 | |
| 2. | प्लाटून कमाण्डर | 73 | 52 | 21 | |
| 3. | मुख्य आरक्षी | 62 | 31 | 31 | |
| 4. | वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक | 10 | — | 10 | |
| 5. | आरक्षी | 96 | 2 | 94 | |
| **अधीनस्थ लेखा सेवा :** | | | | | |
| 1. | सहायक लेखाधिकारी—II | 12 | 9 | 03 | |
| 2. | कनिष्ठ लेखाकार | 1 | 1 | — | |
| **अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :** | | | | | |
| 1. | कम्पाउण्डर | 1 | 1 | — | |
| **मंत्रालयिक सेवा :** | | | | | |
| 1. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 13 | 08 | 05 | दो व. सहायक रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित |
| 2. | वरिष्ठ सहायक | 31 | 26 | 05 | दो व. सहायक, सहा. प्रशा. अधिकारी के विरूद्ध पदस्थापित |
| 3. | कनिष्ठ सहायक | 39 | 38 | 01 | |
| **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :** | | | | | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | चौकीदार | 13 | 12 | 1 | |
| 3 | कुक | 3 | 3 | — | |
| 4. | स्वीपर | 7 | 3 | 4 | |
| | **योग :** | **417** | **222** | **195** | |

## 3.4 ग्रामीण गृह रक्षा (51कम्पनियॉ):

ग्रामीण क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, रेलवे ट्रेक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण गृह रक्षा की इकाइयां गठित की गई हैं। वर्तमान में ग्रामीण गृह रक्षा इकाई 22 जिलों (अजमेर, अलवर, बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, चूरू, चितौड़गढ, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनूँ, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक) में ही गठित की गई है जिनमें 5660 स्वयं सेवक हैं।

इनके नियन्त्रण, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी शहरी गृह रक्षा में पदस्थापित समादेष्टा का है तथा उनकी सहायतार्थ नियमित स्टाफ स्वीकृत है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियॉ | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| **अधीनस्थ सेवा** : | | | | | |
| 1. | कम्पनी कमाण्डर | 4 | 3 | 1 | |
| 2. | प्लाटून कमाण्डर | 18 | 11 | 07 | |
| 3. | मुख्य आरक्षी | 38 | 12 | 26 | |
| 4. | आरक्षी | 3 | – | 3 | |
| **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** : | | | | | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 16 | 12 | 04 | |
| 2 | चौकीदार | 02 | – | 02 | |
| 3. | कुक | 04 | 03 | 01 | |
| | **योग :** | **85** | **41** | **44** | |

- वर्तमान में विभाग में 1010 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में 455 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 555 पद रिक्त चल रहे हैं। स्थिति दिसम्बर 2020 तक की दर्शाई गई है।
- इस विभाग में 17 अधिकारी/कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थाई रूप से पदस्थापित किया गया है।
- सीमा गृह रक्षा, शहरी व ग्रामीण गृह रक्षा के कुल 30,714 स्वयं सेवकों का विभिन्न जिलों में नफरी का विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

## <u>नियोजन</u> :

वर्ष 2020–21 में माह अप्रेल, 2020 से दिसम्बर 2020 तक सीमा, शहरी, ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :–

## 3.5 <u>शहरी / ग्रामीण गृह रक्षा</u>

| क्र.स. | ड्यूटी का नाम | सदस्यों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | रात्रिगश्त ड्यूटी | 1675<br>675 | 01.04.2020 से 30.09.2020 तक<br>01.10.2020 से 31.12.2020 तक |
| 2 | यातायात ड्यूटी | 1575<br>575 | 01.04.2020 से 30.09.2020 तक<br>01.10.2020 से 31.12.2020 तक |
| 3 | शासन सचिवालय, ड्यूटी | 250 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 4 | विधान सभा सुरक्षा, ड्यूटी | 12 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 5 | आन्तरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ ड्यूटी | 03 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 6 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मय वाहन चालक | 02 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 7 | नगर निगम चुनाव, 2020 | 4541 | 27.10.2020 से 02.11.2020 तक |
| 8 | जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव, 2020 | 8094 | 22.11.2020 से 06.12.2020 तक |
| 9 | नगर निकाय चुनाव, 2020 | 2622 | 09.12.2020 से 12.12.2020 तक |
| 10 | कोरोना ड्यूटी | 60000 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 11 | मेले / पर्वों के दौरान ड्यूटी | 14185 मैनडेज | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 12 | राजनैतिक गतिविधियों में | 24180 मैनडेज | 15.07.2020 से 31.07.2020 तक |
| 13 | माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा–2020 | 2838 | 05.03.2020 से 03.04.2020 तक<br>03.09.2020 से 12.09.2020 तक |
| 14 | आरक्षी / आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरूद्ध (121+137) | 258 | 01.01.2020 से 31.12.2020 तक |

## 3.6 सीमा गृह रक्षा ड्यूटियों का विवरण :–

| क्र.स. | ड्यूटी का नाम | सदस्यों की संख्या | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर | 22 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 2 | सुपर थर्मल पॉवर प्लांट छबड़ा बारां | 159 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 3 | सुपर थर्मल क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना मोतीपुरा बांरा | 175 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 4 | सुजलान ग्लोबन सर्विसेज लिमिटेड ,जैसलमेर | 20 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 5 | हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स | 137 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 6 | काली सिन्ध सुपर थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़ | 189 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 7 | दूरदर्शन विभाग, अजमेर | 03 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 8 | विद्युत विभाग बून्दी / चित्तौड़गढ | 20 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 9 | बाल सुधार गृह जयपुर | 15 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 10 | केयर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बाड़मेर | 113 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 11 | रामगढ़ गैस तापीय विद्युत परियोजना जैसलमेर | 33 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 12 | वी.एस. लिग्नाईट पावर प्राईवेट लिमिटेड गुढा, बीकानेर | 34 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 13 | सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर | 104 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 14 | वन विभाग,रणथम्भौर सवाईमाधोपुर | 22 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 15 | मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा | 04 | 01.04.2020 से 31.12.2020 तक |
| 16 | खान विभाग | 333 | 01.01.2020 से 29.02.2020 तक<br>23.07.2020 से 31.12.2020 तक |
| 17 | कोरोना ड्यूटी | 6000 | 01.04.2020 से 30.06.2020 तक |
| 18 | गुर्जर आंदोलन, 2020 | 660 | 31.10.2020 से 10.11.2020 तक |

3.7 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2020–21 में संचालित पाठ्यक्रम :

(अ) स्वयं सेवकों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम

| क्र.सं. | कोर्स का नाम | अवधि | प्रशिक्षणार्थियों का स्तर | आवंटित सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ड्रिल कोर्स | 13.01.2020 से 24.01.2020 | HG VOL. | 70 |
| 2 | ड्रिल कोर्स | 20.01.2020 से 31.01.2020 | HG VOL. | 70 |
| 3 | यातायात नियत्रंण कोर्स | 27.01.2020 से 07.02.2020 | HG VOL. | 70 |
| 4 | आई. टी. कोर्स | 10.02.2020 से 21.02.2020 | HG VOL. | 70 |
| 5 | वैपन कोर्स | 24.02.2020 से 06.03.2020 | HG VOL. | 35 |
| 6 | मानद पूर्व पदौन्नति कोर्स | 05.03.2020 से 20.03.2020 | HG VOL. | 35 |
| 7 | यातायात नियत्रंण कोर्स | 23.03.2020 से 03.04.2020 | HG VOL. | 08 |
| 8 | ड्रिल कोर्स | 10.02.2020 से 21.02.2020 | BHG VOL. | 36 |
| 9 | स्पेशल वैपन कोर्स | 04.04.2020 से 14.04.2020 | HG VOL. | 08 |
| 10 | ड्रिल कोर्स | 08.06.2020 से 19.06.2020 | BHG VOL. | 36 |
| 11 | ड्रिल कोर्स | 22.06.2020 से 03.07.2020 | BHG VOL. | 36 |
| 12 | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण ड्रिल कोर्स | 06.07.2020 से 07.08.2020 | BHG VOL. | 60 |
| 13 | ड्रिल कोर्स | 24.07.2020 से 05.08.2020 | HG VOL. | 40 |
| 14 | यातायात नियत्रंण कोर्स | 10.08.2020 से 21.08.2020 | HG VOL. | 35 |
| 15 | आई.टी. कोर्स | 24.08.2020 से 04.09.2020 | HG VOL. | 35 |
| 16 | मानद पूर्व पदौन्नति कोर्स | 24.08.2020 से 04.09.2020 | HG VOL. | 35 |
| 17 | ड्रिल कोर्स | 07.09.2020 से 18.09.2020 | HG VOL. | 35 |
| 18 | आई.टी. कोर्स | 07.09.2020 से 18.09.2020 | HG VOL. | 35 |
| 19 | यातायात नियन्त्रण कोर्स | 14.09.2020 से 26.09.2020 | HG VOL. | 35 |
| 20 | लीडरशिप कोर्स | 21.09.2020 से 03.10.2020 | HG VOL. | 35 |
| 21 | टी.ओ.टी. कोर्स | 28.09.2020 से 09.10.2020 | HG VOL. | 35 |
| 22 | ड्रिल कोर्स | 05.10.2020 से 17.10.2020 | HG VOL. | 35 |
| 23 | टी.ओ.टी. कोर्स | 12.10.2020 से 24.10.2020 | HG VOL. | 35 |
| 24 | फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स (I) | 19.10.2020 से 31.10.2020 | HG VOL. | 35 |
| 25 | वैपन कोर्स | 26.10.2020 से 07.11.2020 | HG VOL. | 35 |
| 26 | फायर फाइटिंग कोर्स | 02.11.2020 से 13.11.2020 | HG VOL. | 35 |
| 27 | ड्रिल कोर्स | 09.11.2020 से 07.12.2020 | HG VOL. | 35 |
| 28 | ड्रिल कोर्स **BHG VOL.** | 23.11.2020 से 07.12.2020 | HG VOL. | 72 |
| 29 | लीडरशिप कोर्स | 07.12.2020 से 19.12.2020 | HG VOL. | 35 |
| 30 | टी.ओ.टी. कोर्स | 14.12.2020 से 26.12.2020 | HG VOL. | 35 |
| 31 | मानद पूर्व पदौन्नति कोर्स | 21.12.2020 से 02.01.2020 | HG VOL. | 35 |
| 32 | ड्रिल कोर्स | 28.12.2020 से 08.01.2020 | HG VOL. | 35 |

(ब) स्थाई स्टाफ के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2020–21 :–

| क्र.सं. | कोर्स का नाम | अवधि | प्रशिक्षणार्थियों का स्तर | आवंटित सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टी.ओ.टी. कोर्स | 24.02.2020 से 06.03.2020 | PC/CC | 35 |

## 3.8 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003–04 से होमगार्डस के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए योजना राशि का 5 प्रतिशत होमगार्डस के लिए चिन्हित किया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2020–21 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्टेट सिक्यूरिटी प्लान वर्ष 2020–21 में शामिल करने हेतु राशि रूपये 301.19 लाख का प्रस्ताव तैयार कर गृह रक्षा मत्रांलय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

## 3.9 वार्षिक योजना :–

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 4.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याधर नगर सैक्टर–4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये है तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129.74 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्त वर्ष 2020–21 में 700.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

## 3.10 प्रशस्ति पत्र :–

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदत्त दिनांक 14.08.2020 को इस विभाग के 02 अधिकारियों को विशिष्ठ सेवा पदक, 02 कार्मिक तथा 01 स्वयं सेवक को सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा की गई।

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गृह रक्षा स्थापना दिवस 06 दिसम्बर 2020 की पूर्व संध्या पर इस विभाग के 01 अधिकारी एवं 02 कार्मिकों को महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई।

आलौच्य वर्ष 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के दौरान 148 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा नकद पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

## 3.11 विभागीय जॉच/निलम्बन का ब्यौरा :–

गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जॉच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

| क. सं. | प्रकरण | 01.01.2020 को विचाराधीन प्रकरण | 01.01.2020 के पश्चात् प्राप्त प्रकरण | योग | वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण | 31.12.2020 को लम्बित प्रकरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 सीसीए | 17 | 04 | 21 | 02 | 19 |
| 2. | 17 सीसीए | 02 | 08 | 10 | 07 | 03 |
| 3. | निलम्बन | 03 | 08 | 11 | 05 | 06 |
| **योग :** | | **22** | **20** | **42** | **14** | **28** |

## 3.12 प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33 (5) गृह–9/2005 दिनांक 21.01.2012 द्वारा महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत **'कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी'** नियुक्त किया गया है, जिसके संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त स्टाफ आवंटित नहीं हुआ है। वर्तमान में इस अनुभाग का कार्य विभाग में उपलब्ध सीमित स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार हैः–

| क.सं. | पदनाम | उपलब्ध |
|---|---|---|
| 1. | महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।<br>(कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी) | 1 |
| 2. | अति0 महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। | 1 |
| 3. | महानिरीक्षक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। | 1 |
| 4. | जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। | 1 |
| 5. | प्लाटून कमाण्डर (गृह रक्षा, कोटा से अस्थाई ड्यूटी पर) | 1 |
| 6. | वरिष्ठ सहायक (गृह रक्षा, अजमेर से अस्थाई ड्यूटी पर) | 1 |
| 7. | कनिष्ठ सहायक | 1 |
| 8. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1 |
| 9. | गृह रक्षा स्वयं सेवक | 2 |
| | **योग** | **10** |

**प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :–**

1. राज्य में निजी सुरक्षा एजेन्सी का कार्य करने हेतु नवीन लाइसेन्स जारी करना एवं पूर्व में जारी लाइसेन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण करना।
2. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का समय–समय पर निरीक्षण करना एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।
3. राज्य में अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली अवैध निजी सुरक्षा अभिकरणों एवं अभिकरणों में पायी जाने वाली कमियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

**प्रमुख कार्यो के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–**

वर्तमान में राज्य में दिनांक 31.12.2020 तक 2328 निजी सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसमें से 1696 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी वैध लाइसेन्स के साथ कार्यरत है। राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम–2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों को विगत 03 वर्षो में जारी लाइसेन्स का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

| क.सं. | लाइसेन्स का विवरण | वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | नवीन लाइसेन्स | 275 | 314 | 218 |
| 2 | लाइसेन्स नवीनीकरण | 15 | 53 | 28 |
| | **कुल योग :** | **290** | **367** | **246** |

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों से लाईसेन्स हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 तक प्राप्त डी.डी.राशि रू. 55,55,000 (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा हेतु भिजवाई गई है।

# भाग – 4 (बजट संबंधी सूचना)

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2020–21

बजट मद – 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107– (01) शहरी गृह रक्षा

( राशि लाखो मे )

| विस्तृत मद | बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 | | | 31.12.2020 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 01– संवेतन | 2063.00 | 687.00 | 2750.00 | 1399.95 | 443.03 | 1842.98 |
| 03– टी.ए. | 22.50 | 7.50 | 30.00 | 9.65 | 2.95 | 12.60 |
| 04– मेडिकल | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 05– कार्यालय व्यय | 56.24 | 18.74 | 74.98 | 30.99 | 10.08 | 41.07 |
| 08–वृतिका और विशिष्ट सेवायें | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
| 09– किराया कर | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 11– विज्ञापन / विक्रय एवं प्रचार प्रसार | 2.80 | 0.10 | 2.90 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 12.74 | 0.00 | 12.74 |
| 18– मशीनरी एवं साज समान | 83.00 | 27.70 | 110.70 | 5.00 | 1.67 | 6.67 |
| 20– वाहन संधारण | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 24.71 | 7.79 | 32.50 |
| 29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन | 826.66 | 275.55 | 1102.21 | 227.34 | 70.54 | 297.88 |
| 32– डिक्री प्रभार | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36– वाहनों का किराया | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37– लिवरीज़ | 0.82 | 0.28 | 1.10 | 0.57 | 0.18 | 0.75 |
| 41– संविदा व्यय | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 4.18 | 0.00 | 4.18 |
| 42– प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 15175.29 | 0.00 | 15175.29 | 11554.32 | 0.00 | 11554.32 |
| **2070–00–107–01–00 योग :–** | **18338.33** | **1029.37** | **19367.70** | **13286.22** | **536.24** | **13822.46** |

| 4.2 बजट मद– 2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं<br>107– (02) सीमा गृह रक्षा<br>(राशि लाखों में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विस्तृत मद | बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 | | | 31.12.2020 तक का व्यय | | |
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 01– संवेतन | 230.00 | 690.00 | 920.00 | 161.06 | 483.65 | 644.71 |
| 03– टी.ए. | 2.25 | 6.75 | 9.00 | 1.16 | 3.47 | 4.63 |
| 04– मेडिकल | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 05– कार्यालय व्यय | 3.50 | 10.50 | 14.00 | 2.03 | 6.10 | 8.13 |
| 06– वाहन क्रय | 62.50 | 187.50 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08–वृतिका और विशिष्ट सेवायें | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 09– किराया कर | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 11–विज्ञापन/विक्रय एवं प्रचार प्रसार | 2.55 | 0.15 | 2.70 | 1.13 | 0.01 | 1.14 |
| 18– मशीनरी एवं साज समान | 39.38 | 118.12 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20– वाहन संधारण | 7.50 | 22.50 | 30.00 | 4.16 | 12.48 | 16.64 |
| 29– प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन | 162.50 | 487.50 | 650.00 | 66.86 | 209.95 | 276.81 |
| 32– डिक्री प्रभार | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 37– लिवरीज़ | 0.89 | 2.67 | 3.56 | 0.47 | 1.44 | 1.91 |
| 42– प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 750.38 | 158.55 | 908.93 | 575.06 | 129.40 | 704.46 |
| **2070–00–107–02–00 योग** | **1268.59** | **1684.24** | **2952.83** | **815.52** | **846.50** | **1662.02** |

**4.3** बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

01 – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि

**(राशि लाखों में)**

| उप मद | बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 | | | 31.12.2020 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 06– वाहनो का क्रय | 6.00 | 9.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18–मशीनरी एवं साज समान | 54.14 | 81.21 | 135.35 | 8.37 | 12.56 | 20.93 |
| **योगः–** | **60.14** | **90.21** | **150.35** | **8.37** | **12.56** | **20.93** |

4.4 बजट मद–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107– (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

02 – पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि

**(राशि लाखों में)**

| उप मद | बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 | | | 31.12.2020 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 06– वाहनो का क्रय | 31.20 | 46.80 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18–मशीनरी एवं साज समान | 29.14 | 43.70 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **योगः–** | **60.34** | **90.50** | **150.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**4.5** बजट मद – 4059–80–051–05–02

गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

**(राशि लाखों में)**

| उप मद | बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 | | | 31.12.2020 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 17–वृहद् निर्माण कार्य | 813.00 | 0.00 | 813.00 | 348.00 | 0.00 | 348.00 |
| **योगः–** | **813.00** | **0.00** | **813.00** | **348.00** | **0.00** | **348.00** |

**4.6** बजट मद – 2059–80–053–41–01

**(राशि लाखों में)**

| उप मद | बजट प्रावधान वर्ष 2020–21 | | | 31.12.2020 तक का व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल | राज्य निधि | केन्द्रीय सहायता | कुल |
| 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत | 26.11 | 0.00 | 26.11 | 4.42 | 0.00 | 4.42 |
| **योगः–** | **26.11** | **0.00** | **26.11** | **4.42** | **0.00** | **4.42** |

## भाग – 5

**आलौच्य वर्ष 2020–21 की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–**

1. दिसम्बर 2018 से सरकार के गठन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा सन् 1962 में विभाग गठन के बाद पहली बार आधुनिकतम श्रेणी के गृह रक्षा निदेशालय के नये भवन का शिलान्यास 24 जून 2020 को करवाया गया।
2. भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1129.74 लाख का बजट आवंटित किया गया उक्त भवन का निर्माण राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है।
3. गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, धौलपुर हेतु भूमि आंवटित करवा ली गयी है।
4. गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–2020 का प्रारूप राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु अन्तिम फेज पर है जिसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही लागू किया जायेगा।
5. वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात गत 03 वर्षो से लम्बित वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 की बकाया सभी पदौन्नतिया (डीपीसी) को पूर्ण करवाया गया एवं 2020–21 की प्रक्रिया द्रुत गति से जारी है।
6. ऑनरोल मृतक स्वयं सेवकों की आकस्मिक मृत्यु होने के पश्चात उनके आश्रितों को नियमानुसार गृह रक्षा सदस्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया।
7. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों को एक बच्चे के स्थान पर दो बच्चों को कल्याण कोष से छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
8. प्रत्येक जिला तथा बटालियन मुख्यालय पर सम्बन्धित कमाण्डेन्ट/समादेष्टा की अध्यक्षता में स्वयं सेवकों की समस्याओं के निराकरण हेतु एक जिला स्तरीय समस्या निवारण समिति का गठन किया गया।
9. 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से पृथक हो रहे स्वयं सेवकों को अग्रिम जीवन–यापन/लघु व्यवसाय हेतु कल्याण कोष से एक मुश्त अनुदान राशि के रूप में अधिकतम 50,000/–रू. तक राशि देने का निर्णय लिया गया।
10. कोरोना महामारी (कोविड–19) के तहत लॉकडाउन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारी तादाद में गृह रक्षा स्वयं सेवकों द्वारा पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर राज्य में इस संकट के समय अपना महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।
11. कोरोना (कोविड–19) महामारी की ड्यूटी के दौरान स्वयं सेवक व कार्मिक संक्रमित होने के दौरान विभाग द्वारा विभागीय कल्याण कोष से राशि 5000/–रू. की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया।

12. विभाग द्वारा जारी नीति के प्रावधान अनुसार वर्ष 2019–20 में मृतक गृह रक्षा स्वयं सेवकों के कुल 30 आश्रितों का नामांकन कर स्वयं सेवक के रूप में गृह रक्षा सदस्यता प्रदान की गई।

13. प्राइवेट सिक्यूरिटी सैल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से आज दिनांक तक 109 नवीन पसार लाइसेन्स जारी किये जा चुके है साथ ही 20 लाईसेन्सों का नवीनीकरण किया गया है।

14. वर्ष 2020 में 47 निजी सुरक्षा अभिकरणों का वार्षिक निरीक्षण भी करवाया जा चुका है।

15. निर्धारित प्रावधानों एवं नियमों का उल्लघन करने पर 23 अनुज्ञप्तियों का निलम्बन किया गया।

16. निर्धारित प्रावधानों एवं नियमों का उल्लघन कर दोषी पाये जाने पर 08 अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध अभियोग की कार्यवाही शुरू करवाई गई।

परिशिष्ठ ''अ''

# गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

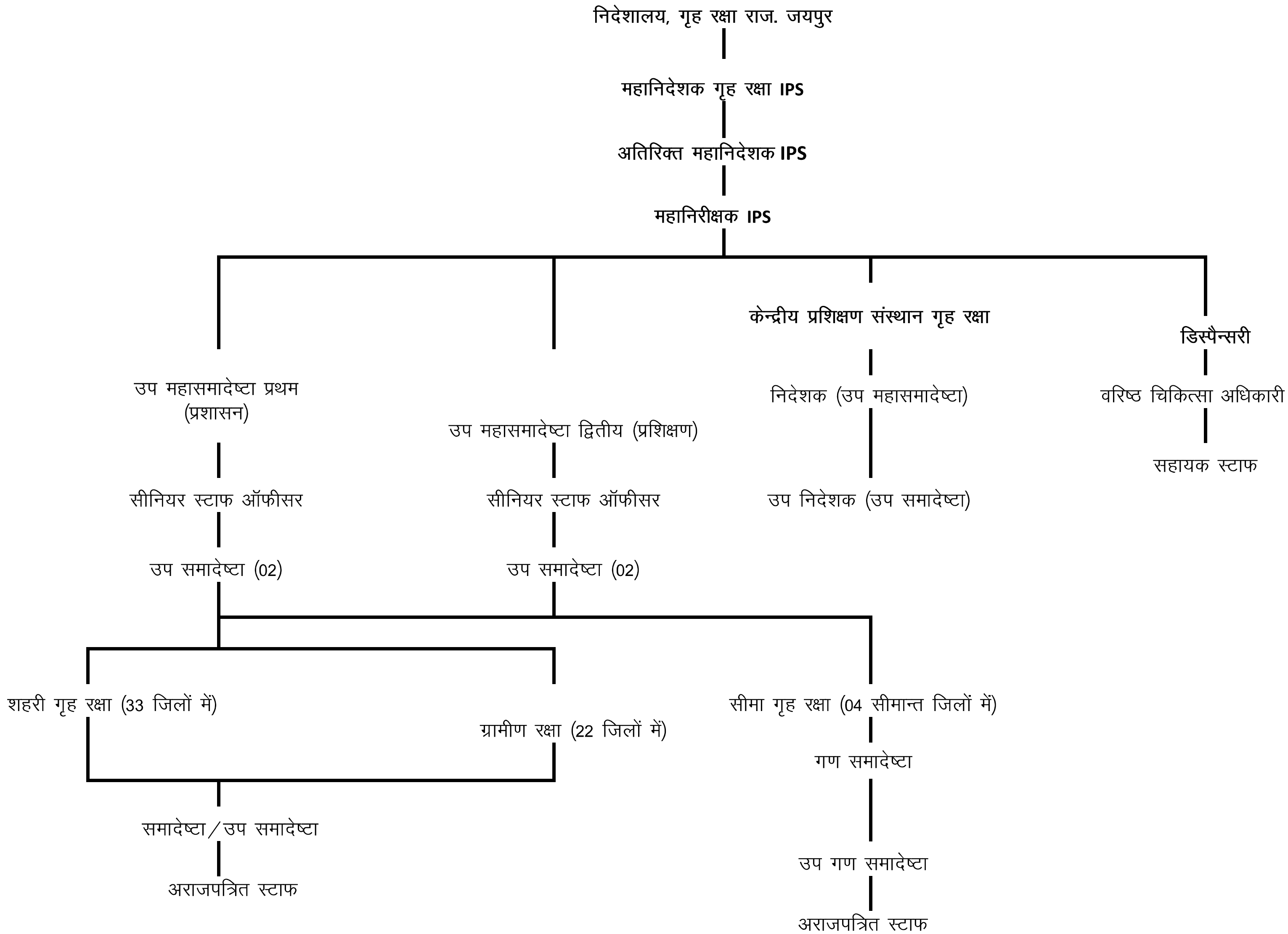

| होम गार्ड्स की स्वीकृत/ऑन रोल नफरी/कमी का विवरण (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | जिले का नाम | पुरूष | महिला | ग्रामीण | कुल योग | मौजूदा | कमी | कोरोना नियोजित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अजमेर. | 1465 | 60 | 195 | 1720 | 1635 | 85 | 403 |
| 2. | अलवर | 615 | 80 | 695 | 1390 | 1063 | 327 | 679 |
| 3. | बाड़मेर | 455 | 20 | 0 | 475 | 431 | 44 | 304 |
| 4. | बांसवाड़ा | 330 | 35 | 0 | 365 | 322 | 43 | 288 |
| 5. | बारां | 310 | 20 | 220 | 550 | 475 | 75 | 166 |
| 6. | बीकानेर | 1025 | 35 | 0 | 1060 | 1020 | 40 | 342 |
| 7. | भरतपुर | 705 | 35 | 290 | 1030 | 875 | 155 | 219 |
| 8. | भीलवाड़ा | 570 | 35 | 200 | 805 | 755 | 50 | 371 |
| 9. | बून्दी | 310 | 30 | 210 | 550 | 508 | 42 | 134 |
| 10. | चूरू | 365 | 20 | 165 | 550 | 512 | 38 | 225 |
| 11. | चितौड़गढ़ | 320 | 20 | 540 | 880 | 752 | 128 | 386 |
| 12. | दौसा | 240 | 20 | 250 | 510 | 458 | 52 | 146 |
| 13. | धौलपुर | 210 | 20 | 210 | 440 | 378 | 62 | 124 |
| 14. | डूंगरपुर | 335 | 30 | 0 | 365 | 345 | 20 | 93 |
| 15. | श्रीगंगानगर | 690 | 40 | 0 | 730 | 635 | 95 | 236 |
| 16. | हनुमानगढ़ | 440 | 35 | 0 | 475 | 463 | 12 | 182 |
| 17. | जयपुर | 2945 | 220 | 330 | 3495 | 2951 | 544 | 2725 |
| 18. | जालौर | 270 | 20 | 0 | 290 | 252 | 38 | 187 |
| 19. | जैसलमेर | 420 | 20 | 0 | 440 | 390 | 50 | 165 |
| 20. | झालावाड़ | 255 | 35 | 220 | 510 | 421 | 89 | 225 |
| 21. | झुन्झुनू | 205 | 25 | 100 | 330 | 325 | 05 | 165 |
| 22. | जोधपुर | 1905 | 110 | 365 | 2380 | 2129 | 251 | 1189 |
| 23. | करौली | 420 | 20 | 0 | 440 | 381 | 59 | 173 |
| 24. | कोटा | 1580 | 70 | 365 | 2015 | 1817 | 198 | 894 |
| 25. | नागौर | 450 | 35 | 285 | 770 | 666 | 104 | 263 |
| 26. | पाली | 615 | 35 | 190 | 840 | 712 | 128 | 283 |
| 27. | प्रतापगढ़ | 310 | 20 | 0 | 330 | 299 | 31 | 139 |
| 28. | राजसमन्द | 460 | 70 | 90 | 620 | 569 | 51 | 242 |
| 29. | स.माधोपुर | 360 | 20 | 240 | 620 | 578 | 42 | 242 |
| 30. | सीकर | 530 | 35 | 95 | 660 | 617 | 43 | 171 |
| 31. | सिरोही | 220 | 20 | 125 | 365 | 261 | 104 | 219 |
| 32. | टोंक | 430 | 20 | 280 | 730 | 499 | 231 | 260 |
| 33. | उदयपुर | 1210 | 110 | 0 | 1320 | 965 | 355 | 528 |
| | **योग** | **20970** | **1420** | **5660** | **28050** | **24459** | **3591** | **12368** |

| सीमा गृह रक्षा दल की स्थिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | जिले का नाम | स्वीकृत | मौजूदा | कमी | नियोजित |
| 1. | बाड़मेर | 666 | 596 | 70 | 355 |
| 2. | जैसलमेर | 666 | 589 | 77 | 380 |
| 3. | बीकानेर | 666 | 611 | 55 | 338 |
| 4. | श्रीगंगानगर | 666 | 601 | 65 | 357 |
| | **योग** | **2664** | **2397** | **267** | **1430** |